न्यायालयः–विष्णु कांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास (म.प्र.)

Registration No.- 2457-2018
Filling No.- 8769-2018
CNR No.- MP4101-010011-2018
Filling Date- 20-12-2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा,
आरक्षी केंद्र बरोठा,
जिला–देवास (म.प्र.) :::: **(अभियोजन)**

::::विरूद्ध::::

01. मेहरबान पिता रामप्रसाद,
आयु 37 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी,
02. रवि उर्फ रविन्द्र पिता रामप्रसाद,
आयु 32 वर्ष, व्यवसाय–कृषक,
03. विनोद पिता रमेश,
आयु 32 वर्ष, व्यवसाय–कृषक,
सभी निवासी–ग्राम पटाड़ी,
जिला देवास (म.प्र.)

::: **(अभियुक्तगण)**

पुलिस थाना बरोठा जिला देवास म.प्र. के अपराध क. 545/2018, अपराध अंतर्गत धारा 341, 294, 323 एवं 506/34 भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण।

//निर्णय//

(आज दिनांक 04.01.2022 को घोषित)

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 03.12.2018 को समय लगभग 20.30 बजे के लगभग स्थान फरियादी के घर के सामने, ग्राम पटाड़ी जिला देवास के लोकस्थान पर फरियादी नरेन्द्र का रास्ता रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी नरेन्द्र को मॉ बहन की अश्लील गालियां देकर उसे अथवा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी नरेन्द्र के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त आशय के अग्रसरण में आहत नरेन्द्र के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं फरियादी नरेन्द्र को संत्रास

कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने की धारा 341, 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी नरेन्द्र के द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर अभियुक्त मेहरबान को धारा 341, 323/34 एवं 506 भाग–2 भादंसं. तथा अभियुक्त रवि एवं विनोद को धारा 323/34 एवं 506 भाग–2 भादंसं. के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है जबकि धारा 294 भा.दं.सं के संबंध में अभियुक्तगण का विचारण जारी रहा है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि फरियादी नरेन्द्र ने दिनांक 03.12.2018 को थाना बरोठा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 03.12.18 को रात्रि लगभग 08:30 बजे अभियुक्त मेहरबान ने उसका रास्ता रोककर उसे मॉ बहन की गंदी गंदी गालियॉ देकर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसे चोट आई थी। फरियादी के घर पहुॅचने पर अन्य अभियुक्तगण रवि व विनोद ने भी उसे मॉ बहन की गंदी गंदी गालियॉ दी थी व उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

04. फरियादी द्वारा दी गयी उक्त सूचना के आधार पर थाना बरोठा देवास पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 545/2018 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आहत नरेन्द्र का मेडिकल परीक्षण कराया गया, अभियुक्तगण को धारा 41–1 (क) दं.प्र.सं. का सूचना पत्र दिया गया एवं संबंधित साक्षीगण से पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये गये। अन्य आवश्यक विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 20.12.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05. अभियुक्तगण द्वारा कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना बताकर उसे प्रकरण में झूॅठा फॅसाया जाना व्यक्त किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य न दिया जाना व्यक्त कर, बचाव में

किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

06. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न प्रमुख रूप से विचारणीय हैंः–

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.12.2018 को समय लगभग 20.30 बजे के लगभग स्थान फरियादी के घर के सामने, ग्राम पटाड़ी जिला देवास के लोकस्थान पर फरियादी नरेन्द्र को मॉ बहन की अश्लील गालियां देकर उसे अथवा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

02. दोषसिद्धी या दोषमुक्ति ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कं–01

07. फरियादी नरेन्द्र (असा. 02) ने यह साक्ष्य दी है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। अभियुक्तगण अक्सर शराब पीते रहते हैं, इस बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी। घटना वाले दिन भी तीनों अभियुक्तगण शराब पीकर उसके घर के बाहर उधम मचा रहे थे, जिससे अभियुक्त से उसकी कहासुनी हुई थी जिसकी रिपोर्ट (प्र.पी. 02) उसने थाने पर लेख कराई थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका (प्र.पी.03) भी बनाया था। यद्यपि नरेन्द्र (अ.सा.02) ने अभियुक्तगण से कहासुनी होने के संबंध में साक्ष्य दी है, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा उसके प्रति अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने एवं उच्चारित शब्दों से उसे क्षोभ कारित होने के संबंध में फरियादी मौन है, जिससे यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्दों को उच्चारित कर फरियादी को क्षोभ कारित किया गया था अथवा नहीं। अभियोजन का समर्थन न करने से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर नरेन्द्र (अ.सा.02) ने अभियुक्तगण द्वारा उसे गंदी गंदी अश्लील गालियॉ दिये जाने के तथ्य को गलत बताया है।

08. यह उल्लेखनीय है कि धारा 294 भा.द.स. के अंतर्गत दायित्व स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्पष्ट रूप से

अभियुक्त द्वारा लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किये गये हों एवं ऐसे शब्दों के सुनने वाले व्यक्ति को क्षोभ कारित करना भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, परंतु स्वयं फरियादी द्वारा घटना के संबंध में सुसंगत साक्ष्य न देने तथा धारा 294 भा.दं.सं. के अपराध की विशिष्टियॉ पूर्ण न होने से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। फलतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को मॉ बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित नहीं किया।

विचारणीय प्रश्न कं 02 :–

09. अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें, परंतु इस प्रकरण में अभियोजन ऐसा करने में असफल रहा है। फलतः उक्त विवेचना के आधार पर **अभियुक्तगण मेहरबान, रवि उर्फ रविन्द्र एवं विनोद को धारा 294 भा.दं.सं.** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

10. अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत/मुचलके धारा 437ए दंड प्रकिया संहिता के अधीन 6 माह की अवधि के लिये अभियुक्तगण की सहमति से विस्तारित किये जाते हैं। उक्त अवधि समाप्ति के पश्चात बिना किसी औपचारिक आदेश के उक्त जमानत/मुचलके स्वमेव भारमुक्त समझे जावे।

11. प्रकरण में निराकरण योग्य संपत्ति नहीं है।

12. प्रकरण में अभियुक्तगण के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहने संबंधी उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दंड प्रकिया संहिता बनाया जाये, जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(विष्णु कांत मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास म0प्र0

(विष्णु कांत मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास म0प्र0